प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

अध्याय 1 प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2 रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखों पर आधारित रा.रा.क्षे. दिल्ली एवं प्रमुख लोक लेखा के लेन-देन की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 रा.रा.क्षे. दिल्ली के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है।

अध्याय 4 रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, वैधानिक निगमों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव के वित्तीय निष्पादन की चर्चा करता है।